

[भारत का राजपत्र, भाग I—खण्ड 1, दिनांक 25 जुलाई 2015 से उद्धरण]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2015

सं.एफ.6-1/2013-डीएल—जबकि, भारत के राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, में 1 मार्च, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) की अधिसूचना संख्या 44 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान की गई सभी अर्हताओं को केन्द्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रोजगार के प्रयोजन के लिए स्वतः ही मान्य माना जाएगा, बशर्ते इन्हें दूरस्थ शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और जहां आवश्यक हो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो।

और जबकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 और 25 फरवरी, 2014 के अपने आदेश द्वारा उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के विनियामक कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सौंपे हैं।

और जबकि, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दिनांक 01 मई, 2013 की अपनी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा परिषद को भंग कर दिया है।

अतः अब केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से तकनीकी शिक्षा सहित प्रदान किए गए डिप्लोमा/डिग्रिया/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।

शशि प्रकाश गोयल
संयुक्त सचिव (टीईल)

[EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART I—SEC. 1, dated 25th July 2015]

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th June 2015

No. F. 6-1/2013-DL—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) Number 44 dated 1st March, 1995 published in the Gazette of India, Part I, Section 1, it had been decided that all the qualifications awarded through Distance Education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National Importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under the Central Government, provided they have been approved by Distance Education Council, Indira Gandhi National Open University, New Delhi and wherever necessary by All India Council for Technical Education, New Delhi.

And whereas the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education vide its order dated 29th December, 2012 and 25th February, 2014 has entrusted the regulatory work of Open and Distance Learning (ODL) mode of education in the higher education system to the University Grants Commission (UGC).

And whereas, Indira Gandhi National Open University vide its notification dated 1st May, 2013 has dissolved the Distance Education Council of the University.

Now, THEREFORE, the Central Government hereby notifies that all the degrees/diplomas/certificates including technical education degrees/diplomas awarded through Open and Distance Learning mode of education by the Universities established by an Act of Parliament or State Legislature, Institutions Deemed to be Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 and Institutions of National Importance declared under an Act of Parliament stand automatically recognized for the purpose of employment to posts and services under the Central Government, provided they have been approved by the University Grants Commission.

SHASHI PRAKASH GOYAL
Joint Secretary (TEL)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

बाहर की यूनिवर्सिटी के सेंटर प्रदेश में फिर से खुल सकेंगे

2011 में बंद करवाए थे सेंटर, सरकार पहले हाईकोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में हारी

राहुल दुबे | इंदौर

प्रदेश से बाहर की यूनिवर्सिटी अब फिर से प्रदेश में अपने सेंटर खोलकर विभिन्न कोर्स संचालित कर सकती है। 2011 में उच्च शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर निकालकर बाहरी यूनिवर्सिटी के प्रदेशभर में संचालित सारे सेंटर बंद करवा दिए थे। बड़ी संख्या में एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ 19 सेंटर, यूनिवर्सिटी कोर्ट चले गए थे। सरकार पहले हाई कोर्ट में हारी। इसके

बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई को सही ठहराने के लिए एमएलपी दायर की थी। अगस्त अंत में सरकार की अपील सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मदन बी. लोकर, जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने यह फैसला दिया है। एक सेंटर संचालक के वकील आनंद अप्पवाल के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग ने 10 जनवरी, 2011 को आदेश निकाला था कि प्रदेश से बाहर की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वे जो भी कोर्स प्रदेश में संचालित करेंगी हमसे संबद्धता लेना होगी। शेष-पेज 6 पर

नों पाइंट पर निर्णय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने नॉन रिजिस्टर्ड एजुकेशन की धारा 12 में निजी प्रतिष्ठानों को डिस्कलर किया है। इस धारा का मतलब है कि सरकारने प्रदेश से बाहर की कोर्स में यूनिवर्सिटी प्रदेश में कोर्स संचालकों को बंद कर दिया और निर्यात के तहत पहले सबूत लेगी। इस बखर्क को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से कोर्स संचालित करने के लिए दक्षता है।